10 रु. Rs.10 INDIA TEN RUPEES CANCELLED

CANCELLED

10 रु. Rs.10 रुपये TEN RUPEES CANCELLED

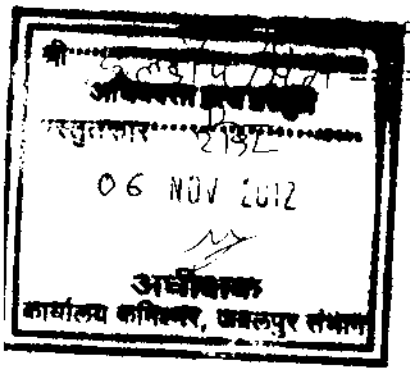

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 कैम्प जबलपुर

पु0प्र0क्र0 :- /2012 R-405-II/13

06 NOV 2012

अधीक्षक

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

...क्षणकर्तागण/आवेदकगण :- 1. सेवाराम आयु 51 वर्ष आ0 फुलवा कौरव

2. मोहन आ0 फुलवा कौरव आयु 48 वर्ष,

3. कमलेश आयु 45 वर्ष वल्द फुलवा कौरव

सभी निवासी- कामती तह0 गाडरवारा

बनाम

उत्तरवादी/अनावेदिका :- जीजीबाई आयु 30 वर्ष पुत्री फुलवा उर्फ फूलसिंह कौरव पति गोविन्द सिंह कौरव निवासी- हीरापुर तह0 गाडरवारा जिला-नरसिंहपुर म0प्र0

185

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 405–एक / 13 जिला – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.6.14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गाडरवारा के द्वारा प्रकरण कमांक44 / अ–6 / 11–12 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक7–9–12 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय सीमा में प्रस्तुत होना मान्य करते हुए प्रकरण गुणदोषों के आधार पर निराकरण हेतु ग्राह्य किया गया है । 2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण विलंब क्षमा करने के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया है कि उसके समक्ष जो आवेदक है वह अधीनस्थ न्यायालय में ना तो पक्षकार है और ना ही उसको सूचना या सहमति दिए जाने के कोई तथ्य प्रकरण में है । इस आधार पर उन्होंने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत विलंब को क्षमा योग्य मानते हुए विलंब क्षमा करते हुए प्रकरण को गुणदोष पर निराकरण हेतु नियत किया है । माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में स्पष्टतया अभिनिर्धारित किया है कि किसी पक्षकार को तकनीकि आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इस कारण भी आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रकरण में नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर	